शिक्षक प्रशिक्षण को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव

महेन्द्र कपूर

अ.भा. संगठन मंत्री

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

दूरभाष : 011-22914799, 9868711893, 9414040403, 9414068780, 9414023964

E-mail:abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: **www.abrsm.in**

शिक्षक प्रशिक्षण को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण की वर्तमानकालिक व्यवस्था में सुधार व परिष्कार हेतु देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, चर्चा गोष्ठियों एवं परिसंवादों का आयोजन किया गया। जिनमें वर्तमान काल में माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था की **प्रवेश प्रक्रिया, प्रशिक्षण की समयावधि, विषय वस्तु, शिक्षणाभ्यास, प्रशिक्षण का मूल्याङ्कन,** बिन्दुओं की समीक्षा मुख्यवक्ताओं के उद्‌बोधनों एवं प्रतिभागियों की खुली चर्चा के माध्यम से की गयी। इन आयोजनों में शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को उत्तम बनाने हेतु वक्ताओं ने प्रत्येक राज्य में शिक्षक-प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। उक्त सभी कार्यक्रमों में की गयी गवेषणा के आधार पर शिक्षक-प्रशिक्षण व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने हेतु बिन्दुवार सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रवेश प्रक्रिया

1. देश में राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष अपने राज्यों में बी.एड. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु एक विश्वविद्यालय को पी.टी.ई.टी परीक्षा के आयोजन एवं प्रवेश कार्य का दायित्व आवंटित किया जाता है। हर वर्ष नये-नये विश्वविद्यालय को पी.टी.ई.टी के आयोजन का कार्य मिलने से प्रवेश संबंधी कार्य में दक्षता एवं निपुणता प्राप्त नहीं हो पाती है। अत: शिक्षण-प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रवेश कार्य सम्पन्न कराया जाना समुचित होगा। शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने तक किसी एक निर्दिष्ट विश्वविद्यालय को पी.टी.ई.टी. व तत्संबंधी प्रवेश कार्य की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि प्रवेश कार्य प्रति वर्ष (25 जून तक) सम्पन्न हो सके।
2. बी.एड. पाठ्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों की महाविद्यालय एवं कक्षा-कक्ष में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था की जानी आवश्यक है कि चयनित अभ्यर्थी को अपने जिले के न्यूनतम दूरी के शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश मिल सके। वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया में आवेदक के निकटस्थ स्थान के महाविद्यालय में स्थान रिक्त रह जाते हैं और उसे दूरस्थ स्थान पर प्रवेश मिलता है। यह उपयुक्त स्थिति नहीं है अत: काउन्सलिंग में निवास स्थान से निकटतम शिक्षा महाविद्यालय में स्थान आवंटन हेतु प्रक्रियात्मक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
3. शिक्षक प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शिक्षक बनने में रुचि व अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन हो, इस हेतु प्रबन्ध संबंधी विषयों में यथोचित परिवर्धन/संशोधन करना चाहिए। इसके लिये ऐसे आवेदकों की अभिरुचि परीक्षा होनी चाहिये तथा उनके कक्षा 1 से 12वीं तक के स्तर के ज्ञान की जाँच तथा उत्तम नैतिक मूल्यों की परख करनी चाहिये।
4. प्रवेश प्रक्रिया में उच्च नैतिक गुण वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये, ताकि समाज में प्रवेश प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता बनी रहे।
5. प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ व निबन्धात्मक प्रश्नों का औचित्यपरक समन्वय हो जिससे आवेदक के ज्ञान व समझ को उचित रूप से परखा जा सके। इसके लिये उचित प्रारूप तैयार हो।
6. प्रशिक्षण हेतु उचित शुल्क-निर्धारण हो जिससे प्रशिक्षण में आधुनिक मानकों के अनुरूप उत्तम सांस्थानिक आवश्यक भौतिक एवं गुणात्मक सुविधायें प्रशिक्षु को प्राप्त हो सके।

प्रशिक्षण की समयावधि

1. प्रशिक्षण की समयावधि शिक्षण उद्देश्यों की गुणात्मकता के साथ मेल खानी चाहिये। तदनुरूप उचित मंथनोपरान्त समयावधि निश्चित की जानी चाहिये। इसे तुरन्त लागू न कर प्रशिक्षण शिक्षक (शिक्षा आचार्यों) के उचित ओरियन्टेशन रिफ्रेशर की व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. संशोधित प्रशिक्षण की समयावधि को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, वर्तमान में माध्यमिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण की समयावधि में साम्यता नहीं है बी.एड. में भिन्न-भिन्न प्रकार के समयावधि के पाठ्यक्रम प्रचलित हैं- द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम, तीन वर्षीय बी.एड. समेकित (इन्ट्रीग्रेटेड) पाठ्यक्रम। द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम उन बी.एड. महाविद्यालयों के लिये उपयुक्त है जहाँ पर अकादमिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं हैं। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण एवं रचना इस प्रकार की हो ताकि शिक्षणाभ्यास नजदीकी विद्यालय में सतत् रूप से जारी रहे एवं इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता एवं भाषायी ज्ञान पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए।
3. मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की भांति शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वरिष्ठ माध्यमिक के तुरन्त बाद प्रारम्भ होना चाहिये। इस प्रकार का समेकित (इन्ट्रीग्रेटेड) पाठ्यक्रम जो वर्तमान में कतिपय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में विद्यमान है उसे प्रदेश स्तर पर लागू करना चाहिये तथा क्रमबद्धरूप से द्विवर्षीय शिक्षण-पाठ्यक्रम के स्थान पर चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले एवं शिक्षक बनने की चाह रखने वाले विद्यार्थी इस क्षेत्र में आ सकें।

विषय वस्तु

1. शिक्षक प्रशिक्षण की विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें प्रशिक्षुओं का मानसिक विकास हो, उन्हें शिक्षा शास्त्र का सम्पूर्ण ज्ञान हो, तथा शिक्षण विधियों में दक्षता आये, इसके लिये प्राचीन से लेकर आधुनिक तक उत्तम शिक्षा शास्त्रों, उत्तम शिक्षण प्रविधियों को सम्मिलित करते हुये अध्यापन व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
2. विषय वस्तु निर्धारण हेतु शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये प्राचीन उत्तम ज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान का उचित समन्वय हो इसके लिये शिक्षक प्रशिक्षण में वेदों से लेकर अन्यान्य भारतीय शास्त्रों के उत्तम शाश्वत जीवन मूल्यों तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के तथ्यों, सत्यों एवं प्रयोगों का समन्वय कर उत्तम पाठ्यक्रम तैयार किया जावे जिससे प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षक में भारतीय गरिमा एवं आधुनिक विज्ञान की समन्वित योग्यता आ सके।
3. शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहे अधुनातन वैश्विक नवाचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विचार कर विषयवस्तु में स्थान मिलना चाहिये।
4. पाठ्यक्रम की परियोजना एवं प्रारूप में निहित नियमों एवं उपनियमों की सरलीकृत रूप में प्रस्तुति होनी चाहिये जिससे अनावश्यक जटिलताओं में पाठ्यक्रम निर्माण बाधित न हो तथा उसकी गुणात्मकता पर असर न पड़े।
5. पाठ्यक्रम एवं विषयवस्तु में पूर्णरूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षुओं के स्तर को ध्यान में रखकर मूल एवं संदर्भित पुस्तकों का माध्यम राष्ट्रीय भाषा हिन्दी ही रहना चाहिये तथा भारतीय लेखकों की उत्तम पुस्तकों को शामिल किया जाना चाहिये। आवश्यकतानुसार भाषा अध्यापकों एवं तकनीकी विषयाध्यापकों के पाठ्यक्रम का माध्यम उचित स्तर तक अन्य भी हो सकता है।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पुस्तक चयन व निर्माण समितियों में सामञ्जस्य व एकरूपता होनी चाहिये। तीनों को एकत्र उपवेशन में विचार कर विषयवस्तु व पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिये। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य स्तरीय विज्ञ एवं लेखन कार्य से जुड़े व्यक्तियों द्वारा होना चाहिये।

शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षणाभ्यास

1. प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ एक माध्यमिक विद्यालय आवश्यक रूप से (जिसमें आदर्श शिक्षक अध्यापनरत हों) सञ्चालित होना चाहिये जिससे प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु उत्तम शिक्षण देख सकें तथा वहाँ अपना शिक्षणाभ्यास कर सकें। इस व्यवस्था में प्रशिक्षुओं के शिक्षण को उत्तम बना सकेंगे एवं विद्यालय के आदर्श शिक्षकों की देख-रेख में अच्छे आदर्श शिक्षकों का निर्माण हो सकेगा। शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय को एन.ओ.सी. देते समय इसे शर्त के रूप में जोड़ा जाये।
2. शिक्षक- प्रशिक्षण महाविद्यालयों को निकटतम क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षुओं को शिक्षणाभ्यास हेतु भेजना चाहिये। इन विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षुओं को समुचित मानदेय की भी व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे बेरोजगारी के कारण प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति न पनपे।
3. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम एवं शिक्षणाभ्यास का औसत उचित हो एवं सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम शिक्षणाभ्यास में प्रतिबिम्बित होता हुआ दिखाई देना चाहिये।
4. शिक्षणाभ्यास के लिये सरकारी स्तर पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की उचित व्यवस्था के आदेश प्रसारित हों तथा उनकी पालना गुणवत्ता के साथ हो।
5. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार गाँवों को गोद लेना चाहिये तथा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में शिक्षणाभ्यास करवाकर शिक्षा के प्रसार में योगदान करना चाहिये व इसके लिये सरकारी स्तर पर कुछ मानदेय प्रशिक्षुओं को मिलना चाहिये।
6. प्राय: यह देखा जाता है कि जिन शिक्षण प्रविधियों का प्रशिक्षुओं को शिक्षक-प्रशिक्षण काल में अभ्यास करवाया जाता है प्रशिक्षणोपरान्त वास्तविक अध्यापन में वे प्रविधियाँ परिलक्षित नहीं होती। अत: शिक्षणाभ्यास में शिक्षण प्रविधियों का अभ्यास व्यावहारिक रूप से हो केवल प्रशिक्षण के लिये नहीं अपितु शिक्षक बनने के बाद उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होना चाहिये। इसके लिये सतत् एवं अधिकाधिक और विविध क्षेत्रों में शिक्षणाभ्यास की व्यवस्था होनी चाहिये।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण के साथ साथ पाठ्येतर व सामाजिक उपयोगिता मूलक गतिविधियों के अभ्यास का उपयोग ग्राम सुधार व जन जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।

प्रशिक्षण का मूल्यांङ्कन

1. शिक्षक -प्रशिक्षण के मूल्याङ्कन में सभी मानकों के अनुसार सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों स्तरों का समुचित मूल्याङ्कन होना चाहिये।
2. सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रश्नपत्र निर्माता, प्रायोगिक परीक्षा के बाह्य व आन्तरिक परीक्षक, आदर्श व उच्च नैतिकता सम्पन्न होने चाहियें। किसी भी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा में पक्षपात नहीं हो इसके लिये समुचित देख-रेख, निरीक्षण व दण्ड का प्रावधान होना चाहिये।

   सामान्यत: यह देखा जाता है कि सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्ताङ्कों में अत्यधिक विसंगति होती है। साथ ही यह भी पाया जाता है कि स्नातक स्तर के प्राप्ताङ्कों की तुलना में बी.एड. स्तर पर 20 से 25 प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी परीक्षार्थी को 75 प्रतिशत से अधिक अंक दिये गये हों तो परीक्षक द्वारा इसका औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिये।

3. सरकारी स्तर पर भी शिक्षक –प्रशिक्षण के मूल्याङ्कन को उच्च वरीयता देकर सम्पन्न करवाना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा निर्मित शिक्षक अनेकों के व्यक्तित्व का निर्माता बनेगा।

4. पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठय्पुस्तक निर्माण व मूल्यांकन एवं परीक्षा प्रणाली निर्माण इन चारों समितियों के सदस्यों में सामञ्जस्य हो, पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर परीक्षा प्रणाली नीति तक एक उचित प्रवाह हो उसमें अवरोध नहीं दिखाई देने चाहिये। इसके लिये एक ही बार में चारों समितियों का उचित परामर्श द्वारा निर्माण हो तथा इनमें उत्तम नैतिक साख वाले एवं विज्ञ सदस्यों का ही समावेश हो।

5. प्राय: सैद्धान्तिक व प्रायोगिक मूल्याङ्कन होता है लेकिन शिक्षक में नैतिक गुणों के समावेश के अभाव में यह खोखला ही होगा अत: शिक्षक प्रशिक्षण के मूल्याङ्कन में शिक्षकोचित नैतिकता, भारतीयता एवं मानवीय मूल्यों का मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष व परोक्ष विधि से होना चाहिये तथा उसके अंकों का श्रेणी निर्धारण में योगदान होना चाहिये।

6. मूल्याङ्कन ऊपर से थोपा हुआ नहीं हो, बार-बार ऊपर से नीचे नियमों को थोपा न जाकर एकरूपता व निश्चितता रहे जिससे परीक्षक उत्तम मानसिकता के साथ प्रश्नपत्रों का निर्माण कर सके।

7. मूल्याङ्कन में इस प्रकार के प्रश्न हों जो केवल परीक्षार्थी की स्मरणशक्ति की परीक्षा ही न करें अपितु उसकी विषय संबंधी गहनता की समझ की भी परीक्षा कर सकें। अत: उपयुक्त प्रकार से प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त माध्यमिक स्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण को उत्तम व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये निम्न सामान्य सुझाव भी गवेषणा से प्राप्त हुये हैं-

1. शिक्षण कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है यह समझकर प्रत्येक स्तर पर चाहे वह प्रशासनिक स्तर हो, चाहे विद्यालय स्तर हो, या नीतियों के क्रियान्वयन का स्तर हो उससे सम्बद्ध अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, निष्ठा के साथ अपनी सामर्थ्य से एवं अपनी ओर से जो भी उत्तम हो, ऐसे गिलहरी प्रयास करते रहें तभी शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था सर्वोत्तम हो सकती है तथा इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था देने वाले व्यक्तियों को प्रशंसा पत्र व सम्मान भी मिलने चाहिये।

2. शिक्षक प्रशिक्षण में 'नान अटैंडिंग' प्रवृत्ति पर अंकुश के लिये आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था हो, जहाँ सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हो तथा कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक हो।

3. देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उच्च वरीयतानुसार बजट का प्रावधान हो।

4. शिक्षक प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो, जैसे ई क्लास रूम, सेटैलाइट व टी.वी. प्रोग्राम, प्रोजेक्टर से प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रोग्राम इत्यादि।

5. शिक्षक प्रशिक्षण हेतु उचित शुल्क लिया जाना चाहिये तथा इसका पूरे देश में उचित स्तर स्थापित करना चाहिये जिससे संस्थागत सुधार हो सके। इसके लिये किसी कमेटी में विज्ञ लोगों द्वारा राज्यों की परिस्थिति के अनुरूप मंथन करके शुल्क निर्धारण किया जावे।

6. प्राय: शिक्षक-प्रशिक्षण से संबंधित जो निजी महाविद्यालय हैं वे अपने लाभ को सर्वोपरि देखते हैं। अत: शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था लाभवृत्ति से प्रेरित न होकर सरकार द्वारा कल्याणकारी वृत्ति के रूप में होनी चाहिये जिससे इसमें अनुचित व्यवहारों पर रोक लगे।

7. शिक्षक –प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्थानों का निर्धारण रोजगार के अनुपात में हो। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उचित संस्थागत सुविधायें हों तथा प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार की गारन्टी हो, तत्पश्चात् शिक्षक का उचित वेतन निर्धारण हो ये सभी शिक्षक की गरिमा को प्रभावित करते हैं अत: उपरोक्त सभी शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं इसलिये इनका समुचित पालन होना चाहिये।

8. शिक्षक प्रशिक्षण में कार्यरत अध्यापकों (शिक्षा आचार्यों) का भी उच्च मानकों के अनुसार कर्तव्य निर्धारण एवं तदनुसार मान्य वेतन व सुविधाओं का निर्धारण होना चाहिये जिससे वे प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर पूरी आत्मीयता के साथ ध्यान दे सकें एवं भौतिक परिस्थितियां उन्हें प्रभावित न करें।

9. शिक्षक- प्रशिक्षण संस्थानों/ महाविद्यालयों पर उचित नियामक तन्त्र अपना कार्य करे जिससे वहाँ का प्रशिक्षण उत्तम स्तर का हो तथा किसी अनियमितता की संभावना न रहे फलतः संतुष्टी का स्तर उच्चतम होकर, शिक्षक प्रशिक्षण के उत्तम परिणाम प्राप्त हों।

10. प्रत्येक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में पृथक रूप से बी.एड. अनुभाग की स्थापना हो जहाँ बी.एड. से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निर्धारण एवं निष्पादन की व्यवस्था हो।

मीडिया की सकारात्मक भूमिका

मीडिया का शिक्षा एवं शिक्षक के सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिये। आज भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने निजी जीवन एवं सुख सुविधाओं को छोड़कर विद्यार्थियों के सर्वाङ्गीण विकास एवं विद्यालय के उत्तम पर्यावरण के लिये अहर्निश लगे रहते हैं तथा अपना वेतन देकर भी शैक्षिक उन्नयन का कार्य करते हैं। बहुत से शिक्षक सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी अपनी निष्ठा से शिक्षा के प्रसार में जुटे हैं। मीडिया को ऐसे शिक्षकों एवं उनके द्वारा किये जा रहे गौरवपूर्ण उत्तम शैक्षिक कार्यों तथा उनसे संबंधित समस्याओं को अपने प्रसारणों में उचित एवं सकारात्मक स्थान देकर शिक्षकों के गौरव को समाज में प्रसारित करना चाहिये, जिससे प्रतिभावान योग्य व अच्छे विद्यार्थी शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उन्मुख हों।

❑❑❑